प्रति,

सिंटा कमेटी
मुंबई.

प्रस्ताव : हम सिंटा के संविधान के क्लाज़ 8(c) Cessation of Membership में प्रस्तावित तानाशाही पूर्ण संशोधन को रद्द करने का प्रस्ताव रखते हैं।

कमेटी द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन का उद्देश्य मेंबर्स का मुंह बंद करना है ताकि वो अपनी परेशानी और शिकायत के बारे में ना किसी से कह पाये और ना ही सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिंटा कमेटी और उससे संबंधित पार्टियों, यानि कि प्रोड्यूसर और चैनल से जुड़ी शिकायतों के बारे में कोई भी बाद कह ना सके। ये भारतीय संविधान को अपमानित करने का प्रयास है और इस अपराध में ए.जी.एम. में कमेटी द्वारा सभी मेंबर्स को सहभागी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि

"A member shall be expelled where any act done by a member may be directly and/or indirectly hostile, prejudicial, condemning, defaming and/or maligning CINTAA and/or the interests of CINTAA and/or the interests of any of its member and/or work permit holders and/or any other associates affiliates and/or releted parties of CINTAA. Such acts shall include but not be limited to posting and/or uploading any such material on social-media and/or any other public platforms and/or in print media."

ये बात समझ से बाहर है कि संविधान के इस संशोधन से सिंटा मेंबर्स का क्या फायदा होगा? बल्कि सिंटा से MoU. होने के कारण, प्रोड्यूसर या चैनल की भी शिकायतें कहीं नहीं की ज़ा सकेंगी।

अभी हाल में ही ''स्पेलबाउंड प्रोडक्शन'' से अपनी मेहनत के पैसे ना मिलने के कारण जब 19 मेंबर्स ने सिंटा में शिकायत की तो वहां से भी कोई ठोस मदद ना मिलने पर मेंबर्स ने ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' और ''डेक्कन क्रोनिकल'' अखबार को अपनी परेशानी बताई, अब अगर ये संशोधन पास हो गया तो मेंबरशिप खत्म होने का डर दिखा कर उन्हें बोलने से रोक दिया जायेगा, ये अन्यायपूर्ण और तानाशाही तौर तरीका है। मैं अपने प्रस्ताव द्वारा इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि ये भारत के संविधान की धारा 19''ए'' अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन और अपमान है।

भारत के संविधान की धारा 19 "Right of FreedoM" में ये स्पष्ट लिखा है
19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc, - (1) All citizens shall have the right – (a) to freedom of speech and expression;
अतः कमेटी द्वारा प्रस्तावित उस संशोधन को निरस्त किया जाये और अपनी बात AGM में उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित करने के लिये मुझे उचित समय दिया जाये।

दिनांक 16/04/2015

16/4/2016
at 2:01 pm

प्रस्तावक

समर्थक

संजीव सिद्धार्थ
CINTAA - 4376